अपील सूचना अधिकार संख्या 195/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23–के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपपंजियक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर

Web Copy - Not Official

01.05.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.10.2016 के द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उपपंजियक श्रीगंगानगर से चाही सूचना उनके द्वारा पत्र सं0 1393 दिनांक 23.11.16 से जानबूझकर उपलब्ध नही करवायी गयी है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 24.10.2016 के द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उपपंजियक श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर का पत्रांक 3141–3142 दिनांक 22.04.2016 उनके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर/आर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जबाब देने तक जो जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. पत्र में अंकित तथ्यों व प्रार्थी के सलंग्न परिवाद पर आप द्वारा जो तथ्यात्मक रिपोर्ट माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर को भेजी गयी है उसकी सूचना, कार्यवाही व तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर पत्रांक 3141–3142 दिनांक 22.09.2016 का जबाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट न भेजने के नियम व आधार की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. पत्रांक 3141–42 का जबाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट न भेजने पर दोषी कर्मकार के विरूद्ध विभागीय व अनुशासनात्मक कार्यवाही विभाग के जिस नियम के अन्तर्गत नही की गयी, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में उपपंजियक श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 1626 दिनांक 29.12.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पत्र सं0 1393 दिनांक 23.11.2016 द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी है।

उपपंजियक श्रीगंगानगर ने पत्र संख्या 1393 दिनांक 23.11.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त प्रसंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दूवार निम्न प्रकार है:–
1– पत्र कमांक 3142–43 दिनांक 22.092016 इस कार्यालय में 22.9.2016 को प्राप्त हुआ।
2– प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है।
3– श्रीमति संजू पारीक, उप पंजियक।
4 व 5– तथ्यात्मक कार्यवाही की प्रति सलंग्न है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर से स्पष्ट है कि बिन्दु संख्या 1 से 5 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजियक श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 23.11.2016 सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

1027-28
18/5/17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजियक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 01.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर